नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान लखनऊ परिसर में ऑडिटोरियम में वनों, वन्य जीवों एवं पर्यावरण से सम्बन्धित 2डी एवं 3डी फिल्मों के संचालित किये जाने से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र

क्र.सं.................................

निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 500/प्रति
(4 प्रतिशत वैट अतिरिक्त)

फोटो

सेवा में,

निदेशक
नवाब वाजिद अली शाह
प्राणि उद्यान लखनऊ
लखनऊ।

विषय– नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान लखनऊ में आदेश की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए ऑडिटोरियम में वनों, वन्य जीवों एवं पर्यावरण से सम्बन्धित 2डी एवं 3डी फिल्मों के ठेके के संचालन के सम्बन्ध में निविदा।

महोदय,

मैं/हम/हमारी फर्म नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान लखनऊ परिसर में नवनिर्मित ऑडिटोरियम में वनों, वन्य जीवों एवं पर्यावरण से सम्बन्धित 2डी एवं 3डी फिल्मों के संचालन हेतु आदेश की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ऑडिटोरियम में 2डी एवं 3डी फिल्मों के संचालन का ठेका लेने को तैयार हूँ तथा उक्त ठेके हेतु मैं निम्नानुसार की दर से धनराशि देने को तैयार हूँ।

क्र0सं0	ठेके की अवधि	एक वर्ष हेतु मेरे ऑफर की धनराशि	
		अंको में (रू0)	शब्दों में (रू0)
1	एक वर्ष के लिए		

उक्त ठेके हेतु रू0 20,000/–(रू0 बीस हजार) की धनराशि के रूप में निविदा के साथ केवल राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक.................... संलग्न है।

विक्रय हेतु निर्गत

(निदेशक)
न0वा0अ0शा0 प्राणि उद्यान,
लखनऊ

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

निविदादाता का नाम ....
....

निविदादाता के पिता का नाम............................
....

पत्र व्यवहार का पूरा पता ....
....
....

दूरभाष/मो नं0..

नोट–निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने पर निविदायें अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय पर खोली जायेगी।

नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ परिसर में ऑडिटोरियम में वनों, वन्य जीवों एवं पर्यावरण से सम्बन्धित 2डी एवं 3डी फिल्मों को संचालित किये जाने से सम्बन्धित ठेके के सम्बन्ध में नियम एवं शर्ते –

1– नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान ऑडिटोरियम में प्रकृति, वनों, वन्य जीवों एवं पर्यावरण के बारे में लोगों को शिक्षित करने एंव जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इन विषयों से सम्बन्धित 2डी एवं 3डी फिल्मों के संचालित किये जाने से सम्बन्धित एक वर्ष की अवधि के लिए ठेका चलाने के लिए सील बन्द निविदाएं दिनांक **29.12.2016** को सॉय 5.00 बजे तक दस्ती/रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट के रूप में रू0 20,000/–मात्र (नकद नहीं) (जो निदेशक, प्रिन्स आफ वेल्स जुलोजिकल गार्डेन्स ट्रस्ट, लखनऊ के नाम निरूपित हो) संलग्न हो, प्राप्त किये जायेगे। निविदाएं दिनांक **29.12.2016** को मध्याहन् 05:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोले जायेंगे।

2– सादे निविदा प्रपत्र नियम एवं शर्तो सहित दिनांक **22.12.2016** से **29.12.2016** तक प्राणि उद्यान कार्यालय में रू0 500/–मात्र टेण्डर व 4 प्रतिशत वैट की धनराशि देकर कार्यालय अवधि क्रय किये जा सकते हैं।

3– प्रत्येक निविदा लिफाफे पर ऑडिटोरियम में 2डी एवं 3डी फिल्मों का संचालन के ठेके की निविदा का नाम लिखा होना आवश्यक है।

4– किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक, नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान को सुरक्षित हैं, जिसके लिए कोई भी कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।

5– निविदा के साथ लगी निविदादाता की किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6– नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान द्वारा ऑडिटोरियम के स्ट्रक्चर, दर्शकों के बैठने हेतु सीटें, एअरकन्डीशन, जन सुविधाएं, इन्टीरियर डेकोरेशन, 2डी एवं 3डी स्क्रीन,3डी चश्में एंव प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर, साफ्टवेयर इत्यादि विकसित किये गए है।

7– 2 डी एवं 3 डी फिल्मों की व्यवस्था प्राणि उद्यान प्रशासन द्वारा की जायेगी।

8– फिल्मों के संचालन कार्य हेतु दक्ष कार्यकर्ता/कर्मचारियों को अपने व्यय पर लगाना होगा। प्राणि उद्यान प्रशासन द्वारा मात्र फिल्में उपलब्ध करायी जायेंगी।

9– उक्त ठेके से सम्बन्धित कुल एक वर्ष के ऑफर की धनराशि का 10 प्रतिशत सिक्योरिटी के रूप में ठेका प्रारम्भ करने से पूर्व जमा करना होगा। सिक्योरिटी की धनराशि एक वर्ष के ठेके के लिए जमा रहेगी। जो संतोषजनक ठेके की अवधि पूर्ण होने पर लौटायी जायेगी।

10– ऑडिटोरियम में फिल्मों का संचालन करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर वांछित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध हस्ताक्षरित करना होगा।

11– ऑडिटोरियम में फिल्में दिखाने सम्बन्धित यदि किसी प्रकार का शुल्क/ड्यूटी/कर लगेगा तो उसे सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को वहन करना होगा।

12— विद्युत तथा मीटर की व्यवस्था प्राणि उद्यान, लखनऊ द्वारा की जायेगी। बिजली के बिल का भुगतान ठेकेदार/फर्म द्वारा किया जायेगा। ऑडिटोरियम के संचालन हेतु बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 25 कि0वाट का जनरेटर प्राणि उद्यान, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिये डीजल,संचालन व अनुरक्षण की व्यवस्था ठेकेदार/फर्म द्वारा की जायेगी।

13— ऑडिटोरियम में फिल्मों का संचालन प्राणि उद्यान, लखनऊ के खुलने एवं बन्द होने के अनुसार ही होगा।

14— ऑडिटोरियम में बैठने वाले दर्शकों एवं बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की होगी।

15— ऑडिटोरियम में फिल्में चलाने हेतु लगाये गये कार्यकर्ताओं को अवॉछनीय हरकत करने, मदिरापान करने आदि पर तत्काल प्राणि उद्यान से बाहर करना होगा तथा उनको फिर ऑडिटोरियम के किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकेगा। लगाये जाने वाले कार्यकर्ताओं के प्रवेश पत्र निदेशक, नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान लखनऊ से निर्गत कराने होंगे।

16— ऑडिटोरियम में टिकट की दरें 2डी हेतु रू0 10/—तथा 3डी हेतु रू0 30/— होगी। टिकट दरों को खिड़की के सामने स्पष्ट रूप से लिखवाकर जनसाधारण की जानकारी एवं अवलोकन हेतु लगवाना होगा।

17— ऑडिटोरियम के अन्दर कोई भी आन्तरिक साज—सज्जा करने से पूर्व निदेशक, लखनऊ प्राणि उद्यान से अनुमति लेना आवश्यक होगा। ऑडिटोरियम के निकट कोई स्थाई अथवा अस्थायी निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकेगा।

18— ऑडिटोरियम में खाने—पीने की वस्तुओं, फोटोग्राफी कार्य, गुब्बारा, बच्चों के खेलने की वस्तुएं, पापकार्न आदि की बिक्री किसी भी दशा में नही की जायेगी।

19— ठेकेदार/फर्म चलचित्र के दौरान व्यवसायिक विज्ञापन दिखा सकेगी। धूम्रपान, मद्यपान एवं असामाजिक व्यवसायिक विज्ञापन दिखाना पूर्णतः वर्जित होगा। विज्ञापन की अवधि प्रत्येक शो के लिये अधिकतम 5 मिनट होगी। विज्ञापन से प्राप्त राजस्व का 50% प्राणि उद्यान प्रशासन को जायेगा और 50% ठेकेदार/फर्म को जायेगा। विज्ञापन के विषय/सामग्री को प्राणि उद्यान प्रशासन द्वारा अनुमोदित कराना होगा।

20— ऑडिटोरियम के बाहर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित होगा।

21— ठेकेदार/फर्म के कर्मचारी एवं प्रतिनिधि अपने रिश्तेदारों एवं मित्रों को बिना टिकट चिडियाघर में प्रवेश नही करायेंगे।

22— ठेके की अवधि के लिए कुल ऑफर की धनराशि अग्रिम के रूप में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक तिमाही निम्नानुसार जमा करना होगा :—

1—आदेश की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर...................................... प्रथम तिमाही किश्त।
2—प्रथम तिमाही के अन्तिम माह में..................................... ....द्वितीय तिमाही किश्त।

3–द्वितीय तिमाही के अन्तिम माह में ....तृतीय तिमाही किश्त।

4–तृतीय तिमाही के अन्तिम माह में.. चतुर्थ तिमाही किश्त।

यदि उपरोक्तानुसार तिमाही किश्तें जमा करने पर विलम्ब होगा तो रू0 1000/–मात्र प्रतिदिन की दर से 10 दिन तक विलम्ब शुल्क के साथ तिमाही किश्तें जमा करना होगा अन्यथा ठेका समाप्त कर सिक्योरिटी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

23– विलम्ब शुल्क में छूट दिये जाने/वृद्वि किये जाने एवं उपरोक्त अन्य शर्तो में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में निर्णय करने का अधिकार निदेशक, नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान लखनऊ को होगा।

24– निदेशक, नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान लखनऊ के पास ठेके के समस्त अधिकार सुरक्षित होंगे। निदेशक, नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान लखनऊ उक्त ठेके को प्राणि उद्यान के हित में अपरिहार्य स्थिति में बिना कोई कारण बताये किसी भी समय समाप्त कर सकते हैं। जिसके लिए ठेकेदार/फर्म की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

25– विशेष परिस्थितियों में शिक्षा एंव जागरूकता के उद्देश्य से फिल्मों के अतिरिक्त अन्य प्रचार प्रसार सामग्रियों को भी दिखाया जा सकता है। सामग्री दिखाने का विषय एंव समय का अनुमोदन प्राणि उद्यान प्रशासन से लेना होगा।

26– सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म एवं उनके प्रतिनिधियों/कार्यकर्ताओं को प्राणि उद्यान में मृदुतापूर्वक व्यवहार करना होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी अप्रिय घटनाओं के होने पर इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म एवं उसके प्रतिनिधियों की होगी।

27– सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म द्वारा आडीटोरियम के प्रत्येक शो के पश्चात सामान्य सफाई तथा शो खत्म होने के बाद सॉय को वेक्यूम क्लीनर आदि द्वारा आडीटोरियम की सघन सफाई करानी होगी। आडीटोरियम के बाहर आसपास को भी ठेकेदार/फर्म को साफ रखना होगा।

28– आडीटोरियम को नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान लखनऊ के कार्यों, सेमीनार/वर्कशाप के लिये आवश्यकता अनुसार किसी भी दिन उपयोग किये जाने का अधिकार सुरक्षित होगा। जिसके लिये कोई धनराशि देय नहीं होगी। तथा इसके लिये सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म की कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

29– ठेके की अवधि को दोनों पक्षों की आपसी रजामंदी के आधार पर एक वर्ष के लिये 10% न्यूनतम वृद्वि के साथ बढ़ाया जा सकता है। इसके लिये ठेकेदार/फर्म को एक माह पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा।जिस पर निर्णय लिया जाना निदेशक प्राणि उद्यान,लखनऊ के विवेक पर होगा।

29– विवाद हल करने के उपाय–

- दोनो पक्षों में करार से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विवाद, अर्न्तविरोध की दशा में दोनों पक्ष आपस में मिलकर विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे।

- दोनो पक्षों में करार से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विवाद, अर्न्तविरोध को प्रधान मुख्य वन संरक्षक,वन्य जीव उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्णित किया जायेगा। वह निर्णय दोनो पक्षो के लिए मान्य होगा।

30— ठेकेदार/फर्म को किसी भी चलचित्र को दर्शकों के समक्ष प्रदर्शित करने से पूर्व सम्बन्धित चलचित्र नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान लखनऊ प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

31— दोनों पक्षों द्वारा 2 माह की नोटिस देकर उचित कारणों से अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

32— ठेकेदार/फर्म को निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

- आयकर विभाग द्वारा निर्गत स्थायी पैन नम्बर PAN No.की पठनीय प्रति एवं पिछले वर्ष की इनकम टैक्स रिटर्न की प्रति।
- व्यापार कर विभाग द्वारा जारी टिन नम्बर TIN No.की प्रति।
- जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र।
- जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
- जिलाधिकारी/सक्षम स्तर से जारी निवास/पते का प्रमाण पत्र।
- जिलाधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र।
- राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो।
- वरकिंग कैपिटल/सालवेन्सी प्रमाण पत्र प्रस्तावित संविदागत कार्य को करने की आर्थिक क्षमता एंव पूर्व प्रचलित संतोषजनक गतिविधियों सम्बन्धी प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रारूप में, जो इनके स्वयं न्यूनतम रू0 50.00 लाख का होना आवश्यक है।

उपरोक्त शर्तो को मैंने भली—भॉति पढ़ लिया है और वे मुझे मान्य हैं । यह शर्ते अनुबन्ध का एक अंश होंगी।

विक्रय हेतु निर्गत

(निदेशक)
नवाब वाजिद अली शाह
प्राणि उद्यान लखनऊ,

निविदादाता के हस्ताक्षर ....
निविदादाता का नाम ....
निविदादाता के पिता का नाम............................
....
पत्र व्यवहार का पूरा पता ....
....
....
मोबाईल नं0...